The House reassembled after lunch at 2.00 P.M., THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA) in the Chair.

MESSAGE FROM THE LOK SABHA

THE INSURANCE (AMENDMENT) BILL, 1968

SECRETARY: Sir, I have to report to the House the following message received from the Lok Sabha, signed by the Secretary of the Lok Sabha :—

"In accordance with the provisions of Rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose herewith the Insurance (Amendment) Bill, 1968, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 9th December, 1968."

Sir, I lay the Bill on the Table.

THE STATE AGRICULTURAL CREDIT CORPORATIONS BILL, 1968—*contd.*

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री(श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : उपसभाध्यक्ष महोदय, कल एग्रीकलचर कारपोरेशन बिल के बहस के समय माननीय सदस्यों ने आम तौर पर इस बिल के मूलभूत सिद्धान्तों का स्वागत किया। कुछ माननीय सदस्यों ने इस बिल का समर्थन करते समय सरकार का ध्यान उन खंडों की ओर दिलाया जिनके बारे में उनको इस बारे में संशय है कि शायद सरकार पूरी मंशा के साथ किसानों को मदद करने के लिए इस कारपोरेशन को नहीं बना रही हैं। उन्होंने साथ में कुछ एसे मुद्दे भी उठाये जिसमें खास तौर पर सहकारी आन्दोलन की प्रगति, केन्द्रीय सरकार और रिजर्व बैंक द्वारा कंट्रोल एवं अधिकार, ऋण वितरण प्रणाली और कारपोरेशन में राजनीतिक उद्देश्य के प्रवेश आदि बातों का भी ज़िक्र किया। साथ ही कुछ मित्रों ने पिछले वर्ग के प्रतिनिधियों को इसमें न लिये जाने की भी चर्चा की। श्रीमन्, मैं एक एक करके इन सब बातों की चर्चा करना चाहूंगा।

आदरणीय निरंजन वर्मा और श्री राज नारायण ने बिल के मूलभूत सिद्धान्त का स्वागत किया लेकिन उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि इस बिल में हम कोई ऐसी व्यवस्था नहीं पाते हैं जिसके द्वारा किसानों को कोई लाभ होगा या खेती की तरक्की में मदद मिलेगी। जैसा आप जानते हैं कि इस तरह के कारपोरेशन अभी तक नहीं बने थे और हमने इस कमी को महसूस किया कि सरकारी क्षेत्र द्वारा किसानों को किस तरह से मदद की जा सकती है और इसीलिए सरकार ने इस कारपोरेशन के स्थापना की बात सोची।

यह बात सही है कि खेती के विकास के लिए हमें काफी पैसे की आवश्यकता है। यह बात भी सही है और जहां तक मैं समझता हूं कि किसानों को जितना पैसा मिलना चाहिये खेतीबाड़ी की तरक्की के लिए, उतना उनको नहीं मिल रहा है। श्रीमन्, इसीलिए मैने निवेदन किया कि किसानों की मदद के लिए, खतीबाड़ी, की तरक्की के लिए हमने यह एक कदम उठाया है। लेकिन माननीय राजनारायण जी ने इस बात का समर्थन करते हुए यह बात भी कह दी कि इस सरकार के मडे दिमाग से कोई अच्छी बात नहीं निकलती है। अगर किसानों के मदद के लिए कारपोरेशन बनाया जाय तो वे इस बात को अच्छी बात नहीं समझते हैं। इसलिए मुझे महसूस होता है कि उन्हें अच्छी बात समझ में ही नहीं आती है और उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करनी चाहिये।

लेकिन इसके बाद श्री राजनारायण और श्री मैनन साहब ने वर्मा जी के साथ इस बात की भी चर्चा की इस कारपोरेशन में जिन सदस्यों की नियुक्ति होगी वे सब राजनीतिक दृष्टि से नियुक्तियां होंगी। श्रीमन्, जैसा मैने बिल को पेश करते समय निवेदन किया था कि हर राज्य में जो कारपोरेशन स्थापित किये जायेंगे उनमें 7 सदस्य होंगे। इनमें से 2 केन्द्रीय सरकार के, 2 राज्य सरकारों के, 1 रिजर्व बैंक का और 2 सदस्य सहकारी

संस्थाओं द्वारा चुने जायेंगे। इसलिए इसमें राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति या उसके दुरुपयोग का कोई चान्स नही रहता है। लेकिन मैं इसके साथ ही यह निवेदन अवश्य करना चाहता हूं कि जहां पर चुनाव होते है, हो सकता है वहां पर कुछ राजनीति आ जाती हो। जैसा मुझ को माननीय सदस्यों ने बतलाया खास तौर पर मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब और उत्तर प्रदेश के अन्दर जहां पर गैर काग्रेसी सरकारे थीं, माननीय सदस्यों की पार्टियों द्वारा इस सहकारी आन्दोलन को राजनीति में काफी घसीटा गया। अगर वे माननीय सदस्य सदन पर होते तो मैं नाम देकर बतलाता कि किन किन संस्थाओं में इस तरह की बात की गई। चूंकि वे यहां पर नहीं है इसलिए मैं इस बात की चर्चा करना नहीं चाहता हूं। लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है कि इन राज्यों में जितने पुराने डायरेक्टर थे, जो सहकारी संस्थाओं में काम करते थे, जिन्हें सरकार को नामजद करने का अधिकार था, उन सभी पुराने डायरेक्टरों को हटा दिया गया है और माननीय सदस्यों को पार्टी की सरकार ने अपने आदमियों को उन में नामजद कर दिया है। तो इस तरह के आरोप उनकी पार्टी की सरकार पर लगाया जाना चाहिये। इसलिए श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ये माननीय सदस्य भी इन आरोपों से नहीं बच सकते है। लेकिन मैं सदन को इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं सरकार की इस बिल के द्वारा यह मंशा है और उसकी पूरी कोशिश रहेगी कि जहां तक सम्भव हो सकेगा सहकारी आन्दोलन में राजनीति का प्रवेश नही होगा। जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम कारपोरेशन बना रहे है, उस पूर्ति के लिए कारपोरेशन कार्य करेगा ताकि किसानों को आसानी के साथ ऋण मिल सके और उसका सदुपयोग हो।

कई माननीय सदस्यों ने इस बात की भी चर्चा की ऋण वितरण में भी राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति की जाती है और यह बात भी कही कि अधिकांश यह देखा जाता है कि वह ऋण जिन किसानों को मिलना चाहिये, उन किसानों को नहीं मिल पाता है। हो सकता है इस चीज में कुछ गड़बड़ी हो, लेकिन श्रीमन् मैं निवेदन करूंगा कि कारपोरेशन राज्य सरकारों के सहयोग से काम करेंगे और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि उसमें होंगे। राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के अलावा उसमें सहकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि भी आयेंगे। इसलिए अगर इस तरह की कोई बात हमारे ध्यान में आयेगी और जब हम ऐसा महसूस करेंगे कि उन किसानों को जिनको वास्तव मे आवश्यकता है, ऋण नहीं मिल रहा है, तो जैसा इस बिल में चर्चा की गई है कि तीन साल के बाद उसकी समीक्षा की जायेगी और उस समीक्षा में अगर हम कोई कमी पायेंगे तो निश्चित रूप से उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। लेकिन जैसा मैंने अभी निवेदन किया केन्द्रीय सरकार की नीति उसमें हस्तक्षेप करने की नहीं होगी जब तक कोई बात हमारे नोटिस में इस तरह की नहीं आयेगी। इसीलिए हमने बीच में रिजर्व बैंक को रखा है और अगर आवश्यकता पड़ेगी तो उन कमियों को दूर किया जा सकेगा तथा सुधार किया जा सकेगा।

श्रीमन्, इसके अलावा एक बात खासतौर पर यह कही गई और वह यह थी कि एक ही क्षेत्र में तीन या चार मल्टी एजेन्सी कायम क्यों की गई। हमने इस बात पर पूरी तौर से गौर किया था और खासतौर पर उन प्रान्तों और उन क्षेत्रों के बारे में जहां पर सहकारी आन्दोलन ठीक तरह से नही चल रहे है। इन 5 राज्यों में और 2 यूनियन टैरिटरी का जिक्र हमने किया और कारपोरेशन इन क्षेत्रों में ही काम करेंगे। यदि आवश्यकता हुई और अन्य राज्यों ने चाहा तो अन्य राज्यों में भी कारपोरेशन बनाये जा सकते है। लेकिन अगर इन राज्यों में सहकारी आन्दोलन ठीक तरह से काम करेंगे जिनकी हमने चर्चा की है, उसी के

[श्री जगन्नाथ पहाड़िया]

आधार पर हम आगे कारपोरेशन का निर्माण करेंगे। लेकिन चूंकि उन राज्यों में ठीक तरह से सहकारी आन्दोलन काम नहीं कर रहा है, किसानों को जो ऋण मिलने चाहिये वह समय पर नहीं मिल रहे हैं इस लिये हम ने इस कारपोरेशन की आवश्यकता महसूस की और इस विधेयक को आप के सामने प्रस्तुत किया।

इस के अलावा श्री चेतिया और श्री राजनारायण ने कहा और श्री मिश्र भी उस में शामिल हैं। उन्होंने इस बात की चर्चा की कि विधेयक लाने से पहले राज्य सरकारों से सलाह क्यों नहीं की गयी। हम ने बिल पेश करते समय इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि बिल लाने के पहले एक्सपर्ट टीम को हर राज्य में भेजा गया था। उस टीम ने अपनी रिपोर्ट सरकार को दी और उस रिपोर्ट के आधार पर यह बिल ड्राफ्ट किया गया। उस के बाद सभी राज्य सरकारों के कोआपरेटिव्ह रजिस्ट्रार्स से सलाह की गयी और फिर इस महकमे के सभी मंत्रियों से सलाह की गयी। इस के बाद बिल का ड्राफ्ट मुख्य मंत्रियों की मीटिंग में रखा गया और उस के बाद फिर राज्य सरकारों को इसको हम ने सर्कुलेट किया और उन की राय जानी। और जैसी मैंने कल आप को सूचना दी थी, एक बंगाल को छोड़ कर जिस की जानकारी हमें प्राप्त नहीं हुई है, सभी राज्य सरकारों की सहमति हमें प्राप्त हो चुकी है। इस लिये यह कहना कि हम ने राज्य सरकारों की उपेक्षा की या उन की सलाह नहीं ली, ठीक नहीं है।

हां, उन राज्यों में जहां राष्ट्रपति का शासन है वहां किस की सलाह ली गयी यह सवाल उठता है। जहां राष्ट्रपति का शासन है वहां कोई न कोई काम तो करता ही है। इस लिये जो सरकार के लिये जिम्मेदार हैं वहां पर हम ने उन की सलाह ली। लेकिन इस संबंध में एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि जब कभी भी कोई कानून और व्यवस्था का सवाल पैदा होता है या दूसरा कोई महत्व का सवाल होता है तो दोनों तरफ के माननीय सदस्य इस बात की चर्चा करते हैं कि केन्द्रीय सरकार जिम्मेदार है। जब अन्य मामलों में और राष्ट्रपति शासन में केन्द्रीय सरकार जिम्मेदार है तो क्या यह केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि जो काम हम को सीधे तौर से करना है उस के बारे में हम सीधे तौर से जानकारी कर सकें। लेकिन उस के बाद भी हम ने राज्य सरकारों को छोड़ा नहीं। एक बार, दो बार, तीन बार राज्य सरकारों से सरकारी और गैर-सरकारी तौर पर पूरी तरह से सलाह ली और सब राज्य सरकारों ने जब इस को स्वीकृति दे दी तब हम ने इस विधेयक को यहां पर प्रस्तुत किया।

इस के साथ ही साथ एक बात यह भी कही गयी कि चूंकि यह विधेयक कुछ खामियों के साथ यहां पर लाया गया है इसलिये इस विधेयक को पुनः सेलेक्ट कमेटी के सामने भेज देना चाहिये। श्रीमान जी, मैंने निवेदन किया था कि राज्य सरकारों से एक बार नहीं, अनेक बार चर्चा कर ली। उन के रजिस्ट्रार्स से, सहकारी मंत्रियों से, मुख्य मंत्रियों से सलाह कर ली और फिर ड्राफ्ट उन को सर्कुलेट कर दिया गया और जब उन की पूरी सलाह मिल गयी तब हम ने इस बिल को यहां पेश किया है। इस लिये मैं इस वक्त कोई औचित्य महसूस नहीं करता कि इस को किसी सेलेक्ट कमेटी के सामने दुबारा भेजा जाना चाहिये। हां, जैसा मैंने निवेदन किया, हर तीन साल के बाद हम इस की समीक्षा करेंगे कि हमारा यह कारपोरेशन किस तरह से काम कर रहा है। उस समय अगर हमारी जानकारी में ऐसी कोई बात आयी कि जिस की वजह से यह महसूस किया गया कि इस में कोई परिवर्तन या संशोधन किया जाना चाहिये तो निश्चित रूप से उस को यहां पेश किया जायगा।

माननीय पात्र जी ने आम तौर पर इस बिल का समर्थन किया क्योंकि वह सहकारिता का तजुर्बा रखते हैं और सहकारिता आन्दोलन में काम करते हैं। इस लिये उन्होंने इस बिल

का समर्थन किया और उन मित्रों को जवाब भी दे दिया जो इस बिल का विरोध कर रहे थे। लेकिन जैसा कि मैंने निवेदन किया, आम तौर पर माननीय सदस्यों ने इस का समर्थन ही किया है। कोई ऐसा सदस्य यहां नहीं है जिसने मूल रूप से इस का विरोध किया हो। इस विधेयक की मूल बातों का सभी ने समर्थन किया है और जिन बातों का समर्थन नही किया है उन के लिये उन्होंने कोई सुझाव नहीं रखा।

अप्पन जी ने एक बात कही शेड्यूल कास्ट और शेड्युल ट्राइब्स के बारे में। जितने भी कारपोरेशन बने हैं, उन के बिलों में इस बात की चर्चा नहीं है, लेकिन इस बात का सरकार ध्यान रखेगी कि जैसे भी संभव हो या तो राज्य सरकारों के प्रतिनिधि के तौर पर या केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर या संस्थाओं द्वारा चुने गये प्रतिनिधियों में से उन सात आदमियों में से एक या दो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स के अवश्य होने चाहिये। इस बिल में इस की व्यवस्था नहीं है इस लिये कि अन्य कारपोरेशन विधेयकों में भी इस की व्यवस्था नहीं की गयी है लेकिन राज्य सरकार की या केन्द्रीय सरकार की जितनी भी संस्थाये हैं उन में रिजर्वेशन के नियम लागू होते हैं इस लिये जो नियम बनेगें उन में इस का समावेश अवश्य होगा। इस लिये जैसे उन्होंने मैनेजिरियल स्टाफ की चर्चा की, उन पर भी राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार के सारे नियम लागू होंगे। इस के बाद हम ने इस बात की चर्चा नहीं की है कि इस में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के व्यक्ति नहीं होंगे। वह तो सब जगह हो सकते हैं, लेकिन चूंकि केन्द्रीय सरकार के सारे नियम इस पर लागू होंगे इस लिये वह इस में अपने आप कवर हो जाता है।

माननीय मिश्र जी ने इस बात का जिक्र भी किया था कि कर्ज के लिये शार्ट टर्म और मीडियम टर्म लोन ही क्यों दिया जाना चाहिये। इस विधेयक के द्वारा लांग टर्म लोन की व्यवस्था क्यों नहीं की गयी। यह कारपोरेशन तो थोड़े समय के लिये हम ने बनाया है और जैसे जैसे सहकारी संस्थायें ठीक से काम करती चली जायंगी वैसे वैसे कारपोरेशन अपना काम खत्म करता चला जायेगा और जिम्मेदारी उन संस्थाओं को देता चला जायगा। इस लिये लम्बे समय तक यह काम करे यह जरूरी नहीं है और इसी लिये हम ने इस में लांग टर्म लोन की व्यवस्था नहीं की है। लांग टर्म लोन्स की व्यवस्था दूसरे बैंक्स के द्वारा की जाती है। इस लिये उनका अधिकार हम छीनना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि वह संस्थायें-चाहे वे सहकारी संस्थाये हों अथवा सहकारी समितियां फलें फूलें और जहां वह कमजोरी से काम कर रही हैं केवल उनकी मदद के लिये ही हम इस कारपोरेशन विधेयक को लाये हैं।

श्री एस० एन० मिश्र (उत्तर प्रदेश) : एक प्रश्न श्रीमन, यदि आज्ञा दें तो करूं। मेरा प्रश्न यह है कि इन पांच राज्यों में, जिन में राजस्थान भी शामिल है, बंगाल भी शामिल है, उनमें सहकारिता आन्दोलन—यह बात सही है कि—कमजोर है, लेकिन शार्ट टर्म लोन और मीडियम टर्म लोन में तो हम 40,50 करोड़ रुपया सालाना कर्जा दे भी रहे हैं, लेकिन लांग टर्म लोन, जिस को एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री बड़ा वाइटल समझती है, उस में तो इन पांच राज्यों में और भी खराबी है। तो अगर कारपोरेशन बना रहे थे और थोड़ी अवधि के लिये भी बना रहे थे तो क्यों नही लांग टर्म लोन भी उस के द्वारा देते। आज जो आर्डिनरी मशीनरी कोआपरेटीव्ह सेक्टर की है उस को रिप्लेस कर के या उस में कुछ और एड कर के आप उस में एक व्यवस्था लाना चाहते हैं। तो लांग टर्म लोन को सेपरेट करने की बात नहीं है, लेकिन मेरा मतलब था कि लांग टर्म लोन की एजेंसीज रहे लेकिन आप के कारपोरेशन के ज़रिये लांग टर्म लोन उन को मिले। ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : जैसा मैंने निवेदन किया, इस कार्पोरेशन का उद्देश्य उन की मदद करने का है, रिप्लेस करने का नहीं। और अगर उन का स्थान यह कारपोरेशन ले लेगा तो वह

[श्री जगन्नाथ पहाड़िया]

दबाव में फंक्शन नहीं कर सकेंगी । इस के अलावा जैसा मैंने पहले निवेदन किया, हर तीन साल के बाद इस के कार्य की समीक्षा हम करेंगे और जैसे हम ने पाया कि वे संस्थायें ठीक से काम नहीं कर रही है अथवा काम नहीं कर पा रही है फंड्स आदि की कमजोरी की वजह से या किसी और वजह से तो उस समय इस पर विचार किया जा सकता है ।

दूसरी जो बातें उठायी गयी हैं वे ऐसी हैं कि जो इस बिल से ताल्लुक नहीं रखतीं, इस लिये मैं उन के बारे में आप का समय नहीं लेना चाहता । मैं आशा करता हूं कि सभी बातें जो माननीय सदस्यों ने यहां कही हैं मैं ने उन के बारे में स्पष्टीकरण कर दिया है । मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्यों का समर्थन इस बिल को अवश्य प्राप्त होगा और सदन इस को पास करेगा ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA) : The question is :

"That the Bill to provide for the establishment in the States and Union territories of Agricultural Credit Corporations and for matters connected therewith or incidental thereto, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration'."

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA) : We shall now take up the clause by clause consideration of the Bill.

Clause 2—Definitions

SHRI J. P. YADAV (Bihar) : I move :

1. "That at page 2, line 7, after the word 'includes' the word 'horticulture' be inserted."

2. "That at page 2, for lines 29 to 31, the following be substituted, namely :

(i) 'Corporation' means the Agricultural Credit Corporation established under section 3' ".

3. "That at page 2, line 32 be deleted."

The questions were put and the motions were negatived.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA) : The question is :

"That clause 2 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 3—Establishment of State Agricultural Credit Corporations

SHRI J. P. YADAV : I move :

4. "That at page 3,

(i) in line 14, the words 'in any State or Union territory be deleted; and

(ii) in lines 15-16, the words 'under such name as may be specified in the notification' be deleted.' "

5. "That at page 3, lines 17 to 22 be deleted."

The questions were put and the motions were negatived.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA) : The question is:

"That clause 3 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 3 was added to the Bill.

Clause 4 was added to the Bill.

Clause 5—Share capital and share holders

SHRI J. P. YADAV : Sir, I move :

6. "That at page 3, line 37, for the words 'one crore of rupees or more than five crores' the words 'fifteen crores' of rupees or more than one hundred crores' be substituted."

7. "That at page 3, line 37, for the words 'five crores' the words 'twelve crores' be substituted."

8. "That at page 4,—

(i) in line 2, for the words 'five crores' the words 'one hundred crores' be substituted; and

(ii) in line 4, for the words 'five crores' the words 'one hundred crores' be substituted."

9. "That at page 4, line 26-27, for the words 'and banking companies' the words 'banking companies and words 'banking companies and co-operative societies' be substituted."

10. "That at page 5, line 3, after the words 'Central Government' the words 'in consultation with the appropriate Government' be inserted."

The questions were put and the motions were negatived.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA) : The question is:

"That clause 5 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 5 was added to the Bill.

Clause 6 was added to the Bill.

Clause 7—Management

SHRI J. P. YADAV : Sir, I move :

11. "That at page 5, for lines 17 to 22, the following be substituted, namely :

7. (1) The general superintendence, direction and management of the affairs and business of the Corporation shall vest in the Board of Directors.

(1A) The Board of Directors may exercise all the powers and discharge all the functions which may be exercised or discharged by the Corporation other than those that are expressly directed or required by this Act to be done by the Corporation in general meeting.'"

The question was put and the motion was negatived.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA) : The question is :

"That clause 7 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 7 was added to the Bill.

Clauses 8 to 48 were added to the Bill.

The Schedule was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI JAGANNATH PAHADIA : Sir, I move :

"That the Bill be passed."

The question was proposed.

5—45 R. S./68

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA) : Mr. Kulkarni, it is the third reading. Please be brief. Take five minutes.

SHRI A. G. KULKARNI (Maharashtra) : Give me ten minutes, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA) : No please. It is third reading stage. Don't forget that. Make all your points and say whatever you want to say within five minutes.

SHRI A. G. KULKARNI : I am very sorry that the time is short, Sir. I thought that such an important Bill will be discussed for a day or two. But it is being finished within two or three hours. Anyway I will give my comments on the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA) : I have to remark then that you have not seen your papers. The whole time allotted to this Bill is two hours.

SHRI A. G. KULKARNI : Anyway, Sir, I shall just make brief mention of my comments, and let them be considered by the Government at the rule-making stage or whatever the stage is. Basically, Sir, I wanted to point out to the Government that the entire conception of the Bill is not correct. But why I say it is not correct is because of this provision in the Bill, and the provision on page 9 of the Bill is :

"Subject to the provisions of this Act, the Corporation may transact the following kinds of business, namely :—

(a) the granting of loans and advances, repayable within a period, not exceeding five years, to agriculturists, agricultural marketing societies, agricultural processing societies, . . ." etc. etc.

If, Sir, the Government—as they have claimed—have sent a team to visit the various States, how is it possible that in a State, where an agricultural marketing society is there, an agricultural processing society is there, a village level society is there, how is it possible in a State that an apex society is not there, and that co-operative activity at the apex has not developed? That is my complaint. It is impossible that there cannot be a district level bank or a State level bank. That is

[Shri A. G. Kulkarni]

my first objection; such an ignorance seems ridiculous. Perhaps the Government has not at all taken cognisance of the development of co-operatives. That is my first objection. Anyway it being too late in the day now, I only want to bring to the notice of the Government that the conception of the Government is absolutely wrong. When the other infra-structure is there, the apex structure must be there or the Government will come forward to assist the apex structure to grow. Whether Mr. Pahadia can reply to this problem is one thing.

The second thing is this, Mr. Vice-Chairman. They say they wanted to help the agricultural sector but, as rightly pointed out by various colleagues, this Bill is not going to be ultimately beneficial to the agriculturists.

May I now draw your attention, Mr. Vice-Chairman, to page 5 of the Bill, to Management of the Corporation? Just see, sir, the funny thing mentioned there. I think either the drafting must be wrong, or they simply copied the Memorandum of Association of commercial banks and introduced them there. This is what sub-clause 7 (2) says :

> "The Board in discharging its functions shall act on business principles, regard being had to public interest".

If you are going to act on business principles, what is this Agricultural Credit Corporation for? A co-operative society or a co-operative approach is a promotional approach. For business approach the State Bank of India is there. The other commercial banks are there. Now the Central Government is going to give directions to the Corporations, and if this is the criterion on which the loans will be granted, I have no hope that the loan will ever be granted to an agriculturist. If according to your information the co-operative structure is weak in those various States, you should have stated here at the relevant place in the Bill that certain risks will be taken in loaning money to the agriculturists. But you have here put at nought your aim and you have brought in certain provisions which are not conducive to your aim. Either proper attention has not been given, or perhaps Government must not have understood what is meant by "business principles" in a co-operative structure.

Then I have another point to make, Mr. Vice-Chairman, and that is in relation to the constitution of the Board. There is provision for only one co-operator to be included in the Board of Directors. I do not understand this, Mr. Vice-Chairman, when even the State Bank will perhaps have its director in this Corporation. Now, Sir, there are branches of the State Bank of India everywhere and they are opening more and more branches. Now they have got their directors everywhere who may belong to the big industry or the small industry. But here you are providing in the infra-structure a set-up where you desire that the money should flow to the weaker sector, and yet here only one man who has special knowledge of co-operation is included in the Board of Directors, and I do not know if that one man will ever be able to deliver the goods in the midst of so many other directors representing other interests. Unless there is the motivation, how do you expect that this Board of Directors, this bureaucratic set-up will ever help the agriculturists?

Then, Sir, I have got only one other point to make. It seems, Sir, the Government has yet to take a decision in respect of the coming Fourth Plan. During the last three Plans the concept of co-operative as an alternative scheme for rural emancipation was accepted. In the Fourth Plan it is not still accepted, but they say that wherever possible co-operatives would be used. It seems that the Co-operative Ministry and the Finance Ministry have combined together to defeat the co-operative process itself. That is my charge, Mr. Vice-Chairman, and that is why I am very sorry that such a Bill has been introduced, and Sir, if you really want to help the agriculturists and the agricultural sector, you should have brought up at least in this Bill certain co-operative methods, and not this bureaucratic method of creating another agency to grant money on the same old lines, when umpteen agencies have been functioning in the matter of granting money to agriculturists. Of course, of late, what you may call, a hysteria has started where every Tom, Dick and Harry has been shouting that he wants to help the agriculturists. But you do not know perhaps what even the commercial banks are actually doing in the matter of advancing financial help to agriculturists. They

will say that any advance, wherever there is its remotest relation to agriculture, is an agricultural advance. You might not be knowing perhaps, Sir, that even trucks given on deferred payment are debited to the agriculturists' sector's account. What relation the truck bears to agriculture and agricultural development, I do not understand. Basically we wanted to see that money was advanced to the weaker sector where the development of agriculture was the aim and where the development of agriculture should take place. I am sorry that this is not the case even in this Bill. Let the Government take the lesson that this Corporation is not going to help the agriculturists and that this will be yet another white elephant and that you have by your own hands defeated the co-operaive sector in those weaker States. On the contrary, you should have taken another solid step in this Bill to encourage the co-operatives. If you would have removed the weaknesses and the lacunae in this structure, I would have understood it and I would have welcomed this Bill and congratulated the Government. But this Bill, I should say, Mr. Vice-Chairman, is a black Bill on co-operation.

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं जब इस विधेयक को देख रहा था तो मेरे मन में एक विचार आया कि किसानों के बीच में ऋण देने के और ऋण के द्वारा कृषि की उत्पादन वृद्धि के लिए अनेक तरीके अपनाए गए हैं। आप देखें एक तो कृषि पुनर्वित्त निगम है दूसरा कृषि ऋण निगम है जो आप अभी बनाने जा रहे हैं, फिर कृषि वित्त निगम है जो वित्त मंत्री ने कहा कि लानेवाले हैं। इसी तरह से स्टेट-स्टेट में तकावी ऋण देने की व्यवस्था है। उसके बाद भूमि विकास अधिकोष और सहकारिता अधिकोष है। इस तरह से हम देखते हैं कि एक ही किसान के बीच अनेक प्रकार के ऋण वितरण करने की व्यवस्था की गई है। हमारा किसान सीधा-सादा सरल है, वह तरह तरह के ऋण लेने में विभागों में दौड़ेगा तो उसकी परेशानी बढ़ जायगी और उस समय उसकी स्थिति और भी भयावह हो जाती है जब उपज के समय वह उपज को सम्भालना चाहता है और दूसरी ओर इन 6-7 विभागों से उसके ऊपर जो बकाया रहता है उसे वसूल करने की कोशिश की जाती है। तो मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि अगर सरकार विधेयक लाना चाहती थी तो उसने इसको ठीक ढंग से सोचा या नहीं कि किस प्रकार हम ऐसी व्यवस्था करें जिससे किसानों को हर प्रकार का ऋण एक ही सरल स्रोत से प्राप्त हो सके और उसके लौटाने में उसको सुविधा मिले। अगर ऐसा सरकार सोचती तो शायद इस तरह के पीसमील विधेयक नहीं लाती। उपसभाध्यक्ष महोदय दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेशन कुछ इसी प्रकार का नज्जारा है। नागरिकों को पता नहीं चलता कि शिक्षा विभाग के पास जायं, स्वास्थ्य विभाग के पास जायं, मेट्रोपोलिटन के पास जायं, कारपोरेशन के पास जायं या जो केन्द्र के अनेक विभागों के मंत्री हैं जो अपना वर्चस्व नगरपालिका या मेट्रोपोलिटन पर रखना चाहते हैं उनके पास जायं। मैं अभी श्याम नगर कालोनी गया था। वहां लोगों ने कहा कि मेट्रोपोलिटन कौंसिल के मेम्बर, नगर निगम के सदस्य चाहते हैं कि हम यहां रहें, लेकिन सरकार का जो विकास विभाग है वह कहता है कि तुम्हारे घरों को डिमालिश करेंगे लगभग इसी तरह के कृषि में किसानों की मदद के नाम पर अनेक प्रकार के विभाग घुसाए जा रहे हैं और प्रत्येक विभाग के लिए कहा जा रहा है कि इससे कृषि का उद्धार हो जायगा, कृषि के उत्पादन में वृद्धि हो जायगी। मुझे लगता है कि इससे किसानों की परेशानी अधिक बढ़ जायगी बनिस्बत सुविधा के। जैसे कि जब कोआपरेटिव का श्रीगणेश किया गया तो ऐसा लगा कि भारतवर्ष के लिए कोआपरेटिव युग, सहाकारिता का युग आ रहा है और इससे किसानों को मनीलेंडर से छुटकारा मिलेगा। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि भारतवर्ष में मनी लैंडिंग करने वालों से अपने किसानों को छुटकारा दिला दिया? अगर नहीं दिला दिया तो फिर क्या उपाय आप कर रहे हैं जिससे छोटे-बड़े किसानों को इन मनीलैंडर्स से छुटकारा मिले? जब हम यह सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि जिस प्रकार मनीलैंडर्स अपना व्यवसाय किसानों के बीच

[श्री जगदम्बी प्रसाद यादव]

में कर रहे हैं उसी तरह से सरकार भी मनीलैंडिंग बिज़नेस करने के ढंग से जा रही है न कि सचमुच में किसान की परिस्थिति को सुधार कर, कृषि के उत्पादन में और आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए।

मैं एक सवाल सरकार से और पूछना चाहूंगा—यह विधेयक हमारे सामने है और यह विधेयक आज पारित भी हो जायगा—कि यह रुपया जो सरकार लगाने जा रही है वह रुपया लगाने का चैनल क्या होगा ? इसका चैनल सरकारी होगा, इसका चैनल सहकारी होगा या इसके लिए सम्पूर्ण भारतवर्ष में अलग अलग इकाइयां हर जगह स्थापित की जाएंगी। अगर इकाइयां स्थापित की जाएंगी तो मैं समझता हूं कि एक-दो बरस इकाइयां और दफ्तर स्थापित करने में लग जाएंगे। आपने यह कहा है कि पांच स्टेजों में सहकारिता कमजोर रही, सहकारिता किसानों की मदद में अप-टु-मार्क नहीं हो सकी। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि स्टडी टीम ने आपको क्या बताया कि सहकारिता को आगे बढ़ाने के लिए आपने कौन से काम किए हैं ? मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। मैं बिहार स्टेट से आता हूं, बिहार में सहकारिता के सभी तरह के अधिकारियों से प्रदेश स्तर पर हमारा सम्बन्ध रहा है। जब आपने क्रेडिट कारपोरेशन की बात कही तो वहां सहकारिता का काम करने वाले लोगों ने आपसे कहा कि जो रुपया आप क्रेडिट कारपोरेशन के ज़रिए लगाना चाहते हैं वह आप सहकारिता को क्यों नहीं देते हैं। अगर सहकारिता को देते तो सहकारिता को मदद मिलती, बल मिलता और जैस सहकारिता में दूसरे प्रदेशों ने प्रगति की है बिहार भी उसका मुकाबला कर पाता। मैं एक दूसरा उदाहरण रखना चाहता हूं। जब आज भूमि विकास अधिकोष बिहार राज्य में प्रगति के रास्ते पर आना चाहता है, वह चाहता है कि जिस प्रकार गुजरात ने एक छोटी सी स्टेट होने पर भी 70-80 करोड़ रुपया अग्रिम किसानों को कृषि की उपज बढ़ाने के लिए कृषि ऋण दिया वह उस प्रकार कुछ कर सके। यद्यपि उस प्रकार से पहले बिहार ने कुछ नहीं दिया लेकिन इस साल उसने प्रगति कर आगे बढ़ने की कोशिश की। दस बरस तक आपके रिजर्व बैंक ने या दूसरे बैंकों ने उससे कुछ नहीं पूछा कि तुमने क्यों नहीं प्रगति की लेकिन जब प्रगति के रास्ते पर आया तो तरह तरह के अड़ंगे उसके रास्ते में लगाए जाते हैं। ये अड़ंगे वीकर स्टेट्स के लिए लगाए जाते हैं जहां कोआपरेटिव वीक है। कोआपरेटिव वीक होने का अर्थ होता है कि हर मामले में कमजोर है। जब कमजोर रहता है तो आपका रिजर्व बैंक भी तंग करता है या उसके डिबेंचर रोक लेता है। तो जहां सहकारिता कमजोर हो गई थी वहां उसे मजबूत बनाया जाता। आप उसे मज़बूत बनाने की जगह क्रेडिट कारपोरेशन ले गए। मैं एक सवाल इसके साथ साथ पूछना चाहता हूं कि आप जहां पर क्रेडिट कारपोरेशन से किसानों को ऋण देंगे वहां सहकारिता में लोगों को क्या अविश्वास पैदा नहीं होगा कि सहकारिता सचमुच में किसानों की समस्या का निदान नहीं कर सकती, इसीलिए सरकार को क्रेडिट कारपोरेशन स्थापित करना पड़ा। मैं तो समझता हूं कि क्रेडिट कारपोरेशन स्थापित भी किया है तो उसका चेनल कोआपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, कोआपरेटिव बैंक आदि से मिल कर रखना चाहें तो शायद उससे कुछ लाभ हो सकता है।

मैं पूछना चाहता हूं कि आपने अभी अभी कहा कि अनुसूचित जनजाति के लिए बोर्ड में स्थान निश्चित नहीं किए गए हैं। मैं मानता हूं कि निश्चित नहीं किए गए। बिहार का एक उदाहरण मैं पहले भी दे चुका हूं और अब भी देता हूं कि आपके क्रेडिट कारपोरेशन से या बहार के सहकारिता विभाग से जो ऋण किसानों को कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए दिये जाते हैं उन्हें बिहार के छोटा नागपुर टेनेन्सी एक्ट, सन्थाल परगना टेनेन्सी एक्ट और प्रोटेक्टिव टेनेन्सी एक्ट से प्रभावित पिछड़े वर्ग, एनेक्श्चर, हरिजन, वनवासी अपनी कृषि के विकास में नहीं लगा पाते हैं, उसके लिए आपने क्या किया ? अगर

आप यह व्यवस्था नहीं करते कि सारे के सारे लोग उससे ऋण ले सकें रैयती कानून में सुधार कर तब तक आपके क्रेडिट कारपोरेशन से या जो अन्य सुविधा आप दे सकें उससे क्या लाभ होगा ?

यह कहा गया कि छोटे किसानों की मदद के लिए सरकार उद्यत है लेकिन जितने भाषण में उद्यत हैं उतने कर्त्तव्य में उद्यत नहीं होते हैं। आज कोई किसान ऋण लेने जाता है तो जमीन उसको सिक्योरिटी में देनी पड़ती है। छोटे किसान के पास जमीन कम रहती है और कोई भी क्रेडिट सोसाइटी जमीन का आंकलन आधे से अधिक नहीं करती। मान लीजिए अगर किसान को 5 हजार रुपए ऋण लेने की आवश्यकता होती है, उसके पास 5 हजार रुपए की जमीन है लेकिन आंकलन होगा सिर्फ ढाई हजार का। आप बात करते हैं छोटे किसानों की, मध्यम किसानों की मदद करने की लेकिन वास्तव में जब हम देखते हैं बिल को तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। इस तरह की व्यवस्थाएं सेक्रेटेरिएट में बैठे हुए वे लोग करते हैं जिनको कृषि का कोई अनुभव नहीं रहता है। स्टडी टीम भले ही दो रोज जाकर देख ले लेकिन वास्तविकता जो है उसका अनुभव उन्हें नहीं हो पाता इसलिए वे सचमुच में जिस ढंग से चाहते हैं लाभ दे नहीं पाते।

उपसभाध्यक्ष (श्री महावीर प्रसाद भार्गव) : यादव जी, समय का ख्याल रखें।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : इसीलिए हमने समय पहले ही छोड़ दिया है।

उपसभाध्यक्ष (श्री महावीर प्रसाद भार्गव) : आपको दस मिनट हो गए।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : रिजर्व बैंक में भी कृषि के लिए विभाग रहता है। वह विभाग भी कृषि की मदद करने के लिए रखा गया है, आप भी कृषि की मदद करने के लिए जा रहे हैं, इसी तरह से आपका सहकारिता विभाग, रिफाइनेन्स कारपोरेशन, सभी का मन्तव्य है कि किसानों को पूरी मदद मिले। बिहार में अकाल पड़ा और उस अकाल को बचाने के लिए आज सरकार भी उद्यत है, सरकार चुस्त है और किसान भी चुस्त है। उससे बचने के लिए हमने देखा कि किसान भी कोशिश कर रहा है और ऋण लेना चाहता है लेकिन किसानों तक वह ऋण कैसे पहुंचे और किसानों को कितनी सहूलियत से ऋण मिले, इसको जब तक आप नहीं देखेंगे तब तक काम नहीं चलेगा। बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं उनको ऋण में सहूलियत है और जो छोटे छोटे उद्योगपति हैं उनको भी ऋण में सहूलियत है लेकिन किसानों को जो ऋण आप देते हैं उसमें सहूलियत नहीं है। आप देखें कि रिजर्व बैंक और दूसरे कमर्शियल बैंक जो ऋण देते हैं उसका चैनेल बनाते हैं सहकारिता को और इससे सहकारिता पर जो खर्च पड़ता है वह सारा खर्च किसानों पर पड़ता है और साथ ही साथ उसको रिश्वतें भी देनी पड़ती हैं। तो आज जो व्यवस्थायें हैं उन व्यवस्थाओं में भोलेभाले किसानों को अनेक प्रकार से दौड़ना पड़ता है, तो किसानों को कैसे सुविधा हो इसका विचार आप करते तो मैं समझता हूं कि आप उसको कुछ फायदा पहुंचा सकते थे।

तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि आप इस विधेयक के द्वारा सहकारिता को मदद करने जा रहे हैं या सचमुच में सहकारिता को मृत्युदंड देने जा रहे हैं। जहां तक बिल का प्रयोजन जो है उसको देखने से लगता है कि जहां पर सहकारिता के द्वारा किसानों को मदद नहीं दे पा रहे हैं वहां पर सरकार आगे आ रही है, तो देखने और सुनने में लगता है कि सचमुच में जहां सहकारिता अगर किसानों को मदद न दे वहां क्या सरकार किसानों को मदद करने नहीं जाय ? पर क्या सच में इसके द्वारा मदद हो सकेगी और यह भी लगता है कि सहकारिता के चैनेल से भी आप जा सकते हैं और उनको मदद कर सकते हैं और आप हर तरह से मदद करना चाहते हैं लेकिन होगा यह कि सहकारिता आन्दोलन जिन स्टेटों में धीरे धीरे बल पकड़ने लगा है वहां सहकारिता आन्दोलन के प्रति लोगों में अविश्वास पैदा करेंगे और जब लोगों में सहकारिता के प्रति अविश्वास पैदा हो जायगा तब

[श्री जगदम्बी प्रसाद यादव]

आप किसानों को कुछ मदद दे भी दें तो भी वह कोई मदद नहीं होगी। आप कहते हैं कि ट्रांजिटरी पीरियड के लिये हमने यह बिल रखा है लेकिन ट्रांजिटरी पीरियड के बीत जाने के बाद भी सहकारिता के प्रति विश्वास-भाजन पुनः कैसे होगा। इसलिये मैं चाहूंगा कि अब आप जवाब दें तो यह बतायें कि सचमुच में यह बिल किसानों के लाभ के लिये है और सहकारिता के लाभ के लिये है और अगर यह विवेचन आप ठीक तरह से न कर सकेंगे तो यह बिल सहकारिता पर मृत्यूदंड के समान होगा, स्युसाइडल होगा और अगर सहकारिता को समाप्त कर दिया और ट्रांजिटरी पीरियड के लिये भी इस क्रेडिट कारपोरेशन बिल को लागू किया तो फिर यह बिल भारत के किसी किसान का, स्टेट के किसी किसान का, किसी कीमत पर भी फायदा नहीं करेगा। इसलिये मैं बार बार आग्रह करूंगा कि आप इस बिल को जब देखें और जब इसके बारे में जवाब दें तो जो कुछ इस बिल की मंशा है उसको बतायें, जो कि बिल में उपस्थित नहीं है उस मंशा को भी प्रकट करें कि हम इस बिल के द्वारा इस चैनेल के जरिये जाना चाहते हैं और सहकारिता के द्वारा जाना चाहते हैं जिससे कि सहकारिता पर वहां की स्टेट की जनता का विश्वास बनाये रखें और सहकारिता सचमुच में संगठित हो कर, सुदृढ़ हो कर, शक्तिशाली हो कर उस स्टेट में, उस राज्य में काम कर सके। पांच राज्यों की जिनकी विवेचना आपने की है उनमें से एक प्रदेश से मैं भी आता हूं। मुझे अनुभव है कि गुजरात, महाराष्ट्र, मद्रास और आंध्र से सहकारिता में हम कितने पिछड़े हुये हैं। आपने सहकारिता क्षेत्र में लगभग 500 करोड़ रुपया लांग टर्म और शार्ट टर्म ऋण के रूप में रखा है और जहां महाराष्ट्र 150 करोड़ रुपये से अधिक इसमें ले चुका है, बिहार राज्य में मुश्किल से 15 या 16 करोड़ रुपया लगा है और उसी तरह से गुजरात में भूमि विकास अधिकोष में आपकी मदद ले कर के 80 करोड़ रुपया एडवांस किया गया है जब कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा और आसाम में भूमि विकास अधिकोष में मुश्किल से 3 या 4 करोड़ रुपया ही कर सके। मैं जानता हूं कि आज सभी स्टेट कोशिश कर रहे हैं कि कृषि के क्षेत्र में विकास हो, सचमुच में वह विकास का काम कर रहे हैं और कृषि-विकास के उद्धारक बन कर सामने आये हैं और चाहे सहकारिता हो, चाहे भूमि विकास अधिकोष हो, चाहे शार्ट टर्म लोन हो और चाहे वह लांग टर्म लोन हो सब के द्वारा वह किसानों के बीच में जाते हैं और जब वह विश्वास सम्पन्न कर रहे हैं और धीरे धीरे विश्वास सम्पन्न करते हुये आगे बढ़ रहे हैं तो फिर कैसे आपने सोचा कि इस क्रेडिट कार्पोरेशन के द्वारा हम उनको मदद करें। इसीलिये मैं चाहता हूं कि आप इसका विवेचन यहां रखें कि विशिष्टता में किस कारण से इस बिल को लाना चाहते हैं और इसको आप आगे बढ़ाना चाहते हैं और इसका भविष्य क्या होगा, इनके बारे में एक दृष्टिकोण रखें जिससे कि हमारे सहकारिता जगत को आशंका करने का कोई कारण न हो। मैं कहता हूं कि हमारे बिहार राज्य में कोआपरेटिव जगत के लोगों ने इस बिल का विरोध किया है और कहा है कि अगर रुपया बांटना है तो हमें रुपया दो, हम रुपया दे देंगे। इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस बिल का विवेचन करते हुये सहकारिता जगत की आशंका को दूर करते हुये निश्चित रूप से यह साबित करने का प्रयास करें कि इस बिल के द्वारा सहकारिता जगत को शक्ति प्रदान की जायगी।

SHRI S. D. MISRA (Uttar Pradesh): Mr. Vice-Chairman, I will not take much of your time, because on the Third Reading of the Bill there is no question of talking about the principles of the Bill, either for or against. We know that it is going to be passed. As enunciated by the Minister yesterday and also today we take it that this is going to be a transitory Bill, for a certain period, for five to ten years. If that is the intention and I take it that it is their intention then they must take care to see that the employees of this Corporation are not created on a permanent cadre. In that case I would like to suggest, when we have the Corporations in the five, six or seven States

and in the Centrally administered territories, let the employees, by and large, be taken from the State Cooperative Bank and district banks on deputation or from the co-operative department so that there is a common thinking between the cooperative structure and this Corporation. That is one suggestion that I would like to make.

The other suggestion I would like to make is this. As I stated yesterday and as the majority of the Members here also have stated, there is apprehension in the minds not only of the agriculturists, but also in the minds of the co-operators that this might work as a duplicate organisation and might go in its own way, in its own unilateral way. In order to avoid that, when the Bill is passed, at least at each State-level you form an advisory committee. On that you can have the Minister of Co-operation, if there is a political functionary working. Also have the Chairman of the State Apex Bank and, if possible, the Chairman of the district bank. You are not superseding the State-level banks, at any rate. You are only superseding them for certain functions. Therefore, you must think of this.

The other point is if the Central Government is going to set up this Corporation, let the Central Government take direct interest in these Corporations. If they are guided more by the too rigid policies of the Reserve Bank and under the influence of the Reserve Bank, as it is working somewhere—I will not elaborate it because it will take time—I caution this Government; this might work against the progress. The central banks working at least in these backward States in respect of co-operation are working to their disadvantage. Beware of that.

The fourth point is I presume that there will have to be certain amendments in the co-operative Acts. The Government has not very explicitly stated it. The Committee's Report has resulted in this Bill. I have read the Report. They have stated that after this Corporation Bill is passed by Parliament, there might be amendments in the State co-operative Acts, because of certain arbitration proceedings, recovery, etc. being quite necessary. So, if you want to quicken the pace, just hereafter notify those States saying that the amendments should come first, because there is nothing in this Bill. There is nothing in the Preamble even as to what is going to be done tomorrow.

Lastly, I would say that according to this Bill, which is going to be an Act, the Government is thinking of having an agricultural credit stabilisation fund. Let me tell you the story of this agricultural credit stabilisation fund, which is a sad story for Mr. Mehta (he is nodding his head). At the level of the apex banks and also at the level of the Reserve Bank, even today, if my figures are not wrong, about Rs. 25 to Rs. 30 crores are in this fund. I am sorry to say that in spite of drought conditions, in spite of the bad conditions of farmers in certain States, this money has hardly been utilised. Only for the last few years there is a certain utilisation, about Rs. 2 or Rs. 3 crores. Therefore, if you want to extend the same scheme to these five States, please consider that you not only establish the fund, but, having established it, you really utilise it to the advantage of the farmers.

With these words, I request the Government to take care of these four or five points, which I have made, so that these work to the benefit of the farmers.

SHRI P. CHETIA (Assam) : Mr. Vice-Chairman, since this Bill is going to be passed into an Act, I would like to observe certain points indicating the position in Assam. Fifteen per cent of the rural families in Assam have no agricultural holdings; 47 per cent of the land in Assam is accumulated and concentrated in the hands of the rural vested interests. Most of the peasant holdings are uneconomic. Due to the gradual rise in the price-line, peasants in the rural areas have run into indebtedness with the result that there has been large-scale transfer of lands from these people to the monied class. Taking these vital economic factors into consideration, I appeal to the Government that the consent of the State Governments to this Bill, when it is passed into an Act, should be obtained before it is enforced.

With these few words, I waive my objections which I had raised yesterday.

SHRI T. N. SINGH (Uttar Pradesh): Mr. Vice-Chairman, I rise here to say a few words specially about clause 28 of the Bill which relates to the application of the revenue law in the matter of arrest of persons for failure to pay their dues in time. What is this revenue law?

[Shri T. N. Singh]

It entitles the Government or the Government machinery to put a man in prison for a civil liability. That is what it amounts to. In this twentieth century I feel it is high time that the conscience of man was awakened to the situation that if a poor man, if a poor agriculturist happens to be in financial difficulties, then he is sent to prison. But if a millionaire owes anything, if he has any liability, he is not sent to prison. This kind of thing, I say, is not proper. It may have been all right in the nineteenth century. But today to send a man to prison because he has not paid his dues or his civil liabilities, and that too if he happens to belong to the unfortunate class of agriculturists, I say, it is a sad thing, it is a discrimination.

[THE DEPUTY CHAIRMAN in the Chair]

I know mine is a solitary voice today. I have been trying to say it in U.P. and also here, but I have not been heard. I want to say here again with all the strength that I possess that this is an inhuman provision of the law. I am not talking of this particular law but the putting of such authority in Government, and why should a poor man be sent to prison? Why should a big millionarie, if he does not pay his dues, not be sent to prison? A Tehsil chaprassi can come and arrest the man for his agricultural dues. This is what we are trying to do in this law. I am sure it has escaped the attention of the Government and also the ever alert Members of Parliament on the opposition benches. I say I do not possess that energy or strength which I had in those days, but I do feel very strongly about it. Why should we have this law in the twentieth century? Why should we find such provisions from time to time whenever it comes to agriculturists? Yet we seem to take it as a matter of course, it is allowed to be passed, and everyone says it must be done. You want the agriculturist to get easy credit facilities. You want him to rescue the country from starvation, and he is expected to work the miracle, which has not taken place in the last twenty years, in the next two years. All these provisions are for that purpose.

As a member of the Planning Commission I was a great advocate for a Corporation of this type, but I did not know, I did not bargain for this situation where on the one hand you are providing facilities for the agriculturists and it will again be provided on the other hand that they can be sent to prison for civil liability. For criminal liability he will be sent to prison, but why for civil liability? They are after all small men. I know it is too late for me to talk of this. I have talked of the same at many places, and so long as I live I say I will raise my voice and agitate against this. I will try to convince my colleagues on this side and that side, my citizens outside, my countrymen outside, I will tell them that this is a blot on the law of the land. This provision must go not only from this law but also from all the laws existing in this country. It is too late for me to say this in the Third Reading of the Bill, I am sorry I could not find time to come earlier, still I wanted to raise my protest. I do express my gratefulness to the Chair for having permitted me this small mercy of raising my voice against this provision. I am also sorry that the Finance Minister is not here. Nothing is possible, I know. It is a vain voice, I cannot do anything about it, but yet I appeal to the conscience of this House that today or tomorrow, from today itself, the voice of the people and the country will have to be raised against this inhuman provision in the law of the land. Why should a man like an agriculturist be sent to prison? It is a matter of principle with me. I wish on second thoughts this very Government, the Minister himself would reconsider, despite the advice of the conservative officials who think that they cannot realise anything except by the hand of law and power. They think they must get more and more executive power, more power to send this man to jail and that man to jail, that then only they will function. The credit organisations will function by the goodwill of the people, not only by the goodwill of the creditor but by the goodwill of the debtor. Let us earn his goodwill. Let us earn his co-operation. Let him feel that he is not being treated differently from others. Why should he have that feeling that he will be sent to prison? You have killed co-operation, I am telling you. Thirty or forty years ago it was started in the name of unlimited liability. Properties were just auctioned. Anyone was caught hold of. That is one of the principal reasons why co-operatives have failed. (*Interruption*) After having done a lot of mischief

things have improved. Again I say tomorrow in every State hundreds of people of our peasantry class, of our farmer class, will be marched to the prison house for having failed to pay the dues—because rains have failed, because something has happened, or some personal calamity has occurred. This law will become the most unpopular law of the land. I know it very well. Take my own case. My brother had died. Two brothers had died. At that time there was the abolition of the zemindary. I was a small zemindar. A tehsil chaprassi came, hardly a month had passed after the death of my brother, to march my another brother to prison. I heard of it. I wrote to my brother, "you must go to prison, if for nothing, at least to vindicate"—I have been to prison for other reasons—"the inequity of the revenue law; you must go". I telephoned the District Magistrate and said, "please arrest him". If the conscience of the House is not awakened, I am telling you that even at this age I will lead an agitation against this inhuman provision in the law of this country. This must go. That is what I demand. You cannot, Mr. Deputy Minister who is handling this Bill, take the responsibility of making changes in this. I know. It is beyond your power and authority. So I am not expecting anything. I do not want to say anything more but I wanted to raise my voice to appeal to the conscience of the House, the conscience of the country, and this thing I say that I invite you all friends to join me in a campaign to get rid of this very very inhuman provision in the law of the country. Thank you.

SHRI M. P. BHARGAVA (Uttar Pradesh) : Madam, I want to assure Mr. T. N. Singh that he is not alone.

SHRI JAGANNATH PAHADIA : Madam . . .

SHRI B. K. KAUL (Rajasthan) : On a point of information, Mr. Singh has raised a very important point regarding the recovery of land revenue. I would like to know from him as to what other remedy he proposes to suggest in that case.

SHRI T. N. SINGH : Will the Minister consider the desirability of consulting the Finance Minister?

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : उपसभापति जी, माननीय सदस्यों ने जो सवाल उठाये, मैं समझता हूं कि उनमें जो अंतिम वक्ता श्री टी० एन० सिंह जी थे, उनकी बात की चर्चा करूं । उन्होंने ठीक ही कहा है कि किसानों को जो ऋण दिया जाता है उसकी वसूली काफी सख्ती से की जाती है । माननीया, हो सकता है कि यह बात ठीक है लेकिन हमारे राज्य में इस तरह की व्यवस्था नहीं है । मेरी इस बारे में जानकारी नहीं है कि किसानों को ऋण न चुकाने पर जेल भेज दिया जाता है । निश्चय ही यह व्यवहार अच्छा नहीं है और सरकार भी इस चीज से सहमति प्रकट नहीं करती है । लेकिन उनके सामने राजस्थान से आने वाले आदरणीय सदस्य श्री कौल साहब ने सवाल उठाया था, उस पर भी विचार करना होगा ।

माननीया, मेरे सामने आंकड़े नहीं हैं, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है किसानों को जो ऋण दिया जाता है, उसमें काफी वसूल नहीं हो पाता है । यह बात भी ठीक नहीं है कि सब किसान उस ऋण को चुकाना नहीं चाहते हैं बल्कि अधिकांश किसान अपने ऋण को चुकाना नहीं चाहते हैं । लेकिन माननीय टी० एन० सिंह की यह बात मानूंगा कि आज देश में जिस तरह से राजनैतिक वातावरण हो गया है और वह किसान जो किसी तरह से राजनैतिक इन्फ्लूएन्स रखता है, वह उस पैसे को चुकाने के मूड में नहीं होता और कई बार जानबूझ कर सरकारी आफिसरों को तंग करता है । जो किसान आसानी के साथ अपना ऋण चुका सकता है और चुकाना नहीं चाहता है अगर उस पर सख्ती बरती जाय तो इस पर श्री सिंह साहब को एतराज नहीं होना चाहिये । मैं मानता हूं कि जो किसान ऋण नहीं चुका सकते हैं, उनके लिए इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिये कि उन्हें क़ैद न किया जाय और इसीलिए सरकार इस तरह के निगम की स्थापना कर रही है । मैंने जैसे पहले निवेदन किया था कि जब लम्बे अर्से के ऋण की व्यवस्था हो जायेगी तब शायद इस तरह की नौबत नहीं आयेगी । श्री सिंह को निराश नहीं होना चाहिये और

[श्री जगन्नाथ पहाड़िया]

मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उन्होंने जो भावना प्रकट की है, मैं उन्हें अवश्य वित्त मंत्री तक पहुंचा दूंगा। जहां तक बड़े अफसरों की बात है, मैं इस संबंध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक मेरा ताल्लुक है मेरे ऊपर उनका असर नहीं पड़ता है। श्री सिंह साहब स्वयं भी सरकार में रह चुके हैं और उन्हें इस चीज़ का ज्यादा अनुभव होगा। जहां तक मेरा व्यक्तिगत ताल्लुक़ है मैं अफसर की उसी बात को मानता हूं जो ठीक है, जो ठीक नहीं होती है उस बात को मैं नहीं मानता हूं और जो चीज ठीक नहीं होती है उसके संबंध में अपनी नाराज़गी ज़ाहिर करता हूं। लेकिन मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं उनकी बात को वित्त मंत्री तक पहुंचा दूंगा।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : जिस मंत्री को बिल में कोई भी चीज़ संशोधन करने या उसे स्वीकार करने का अधिकार न हो—जैसा कि उन्होंने अभी स्वीकार किया है—तो ऐसे मंत्री को किसी बिल को पारित कराने का अधिकार नहीं होना चाहिये।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Pahadia, please continue with your speech.

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : मैं इसका पूरा अधिकार रखता हूं। अगर कोई संशोधन रखे तो मैं उसको मंजूर कर सकता हूं और नामंजूर भी कर सकता हूं। इस बारे में आपको ग़लतफ़हमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिये। श्री सिंह साहब एक बुजुर्ग हैं और असलियत को जानते हैं, इसलिए मैंने बात समझाई। इसलिए उन्हें इस बारे में कोई ग़लतफ़हमी नहीं होनी चाहिये।

श्री बी० के० ौल : मैं यह कहना चाहता हूं कि जितनी गवर्नमेंट लोन्स की रिकवरीज़ होती हैं वे इसी तहत होती हैं। क्या आप इस बात का जवाब देने जा रहे हैं कि यह जो रिकवरी होती है वह सिर्फ एग्रीकल्चरिस्ट से ही होती है या किसी और से भी होती है?

एक माननीय सदस्य : इसका जवाब दिया जा चुका है।

श्री बी० के० कौल : इसका गवर्नमेंट की रिकवरी के ऊपर क्या रिपरकशन होगा?

श्री जगन्नाथ पहाड़या : सरकारी रिकवरी तो रिकवरी है चाहे वह एग्रीकल्चरिस्ट की हो या नान एग्रीकल्चरिस्ट की हो। सब चीज के लिए कायदे कानून बने हुए हैं और उसी के अनुसार रिकवरी होती है। यह बात ठीक है जैसा कि अभी श्री सिंह साहब ने कहा।

(Interruption)

श्री जगदम ी प्रसाद यादव : माननीया, मेरा एक प्वाइन्ट आफ आर्डर है।

THE DEPUTY CHAIRMAN: There is no point of order. Mr. Pahadia, please finish quickly. We have overstepped the time fixed for this Bill.

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : माननीया, श्री मिश्र जी ने यह बात उठाई कि कारपोरेशन का जो एम्प्लाई हो उसको परमानेंट बेसिस पर नहीं लेना चाहिये। मैं उनके सुझाव से सहमत हूं कि जो एम्प्लाई कारपोरेशन में आयें उनको एडहाक बेसिस पर लिया जाना चाहिये। कारपोरेशन के नियम बनाते समय सरकार निश्चित रूप से उनके सुझाव पर विचार करेगी।

उन्होंने एक बात और कही कि इस निगम को सीधा किसानों को जाकर, ऋण देने का काम करना चाहिय। माननीया, मिश्र जी ने स्वयं कहा था कि हमने ऐसी व्यवस्था की है जहां पर सहकारी संस्थाएं काम कर रही हैं, वहा निगम के ज़रिये काम करेंगे और किसानों को उनके ज़रिये ऋण दिया जायेगा। जहां पर इस तरह की संस्थाएं काम नहीं कर रही हैं वहां पर कारपोरेशन सीधा किसानों को ऋण देगा। यह बात तो पहले से ही निहित है और इस बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है।

आदरणीय कुलकर्णी जी ने यह सवाल उठाया था कि कारपोरेशन के फील्ड में आने से अपेक्स बैंक समाप्त कर दिये जायेंगे। सरकार

की ऐसी कोई मंशा नहीं है। अपेक्स बैंक को सरकार पूरी मदद देगी और उनका पूरा फंड रिज़र्व बैंक से मिलता रहेगा जो अभी तक मिलता था। यह कारपोरेशन उन क्षेत्रों में भी काम करेगा जहां अपेक्स बैंक काम नहीं कर रहा है। इसलिए अपेक्स बैंकों के समाप्त करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है।

उन्होंने बिज़नेस प्रिंसिपल की बात कही। तो इसके संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि कोई भी संस्था या कारपोरेशन को बिज़नेस प्रिंसिपल को अख्तियार करना ही पड़ता है। लेकिन मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस कारपोरेशन की मंशा पूरी तरह से जनहित में काम करने की होगी और बिज़नेस प्रिंसिपल पर नहीं होगी।

माननीय सदस्यों ने कई बातों की चर्चा की और कुछ ने बिहार की चर्चा की और कहा कि वे बिहार के बारे में ज्यादा जानते हैं। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बिहार की सरकार ने अबतक जो काम किये हैं वे उनके सामने हैं। मेरे पास जो फैक्ट एंड फिगर्स हैं वे बतलाते हैं कि बिहार में सहकारी आन्दोलन को सत्यानाश करने की जिम्मेदारी ग़ैर कांग्रेसी सरकार को है जो चली गई है। मैंने यह इसलिए कहा क्योंकि मेरे पास कुछ तथ्य हैं।

(Interruption)

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : मैं आप से अनुरोध करता हूं कि आप इसके बारे में पूरा डाटा रखें और मैं भी आपके सामने पूरा सबूत पेश करने के लिए तैयार हूं। बिहार राज्य में भूमि विकास अधिकोष 10 वर्षों तक कांग्रेस सरकार के हाथ में रहा और कांग्रेस के प्रशासन ने इन 10 वर्षों में सिर्फ 80 लाख रुपया दीर्घकालीन ऋण दिया और जब हमारे हाथ में एक वर्ष तक शासन रहा तब हमने 3 1/2 करोड़ रुपया किसानों को कृषि उत्पादन के लिए दिया। अतः बिहार के बारे में जब कुछ बोलें तो समझबूझ कर सही बात कहें जैसा कि पहले भी एक बार ग़लत भाषण किये और आज भी संविद सरकार पर ग़लत आरोप लगा रहे हैं। यह ठीक नहीं है।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : कुछ माननीय सदस्यों ने मनीलैंडरों की भी चर्चा की और कहा कि सरकार ने इसके बारे में कोई रास्ता निकाला है जिससे किसान इनसे छुटकारा पा सकें। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह कारपोरेशन इसलिए बनाया जा रहा है ताकि किसान मनीलैंडरों से छुटकारा पा सकें और इस कारपोरेशन को बनाने का यही उद्देश्य है।

THE DEPUTY CHAIRMAN : The question is :

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

THE ADVOCATES (SECOND AMENDMENT) BILL, 1968

THE DEPUTY CHAIRMAN : We go on to the next item, the Advocates (Second Amendment) Bill, 1968. The time allotted for this is 1½ hours.

THE MINISTER OF LAW AND SOCIAL WELFARE (SHRI P. GOVINDA MENON) : Madam Deputy Chairman, I move :

"That the Bill further to amend the Advocates Act, 1961, be taken into consideration."

Madam, the Advocates Act was passed for the first time in 1961. Subsequently, it became necessary to have an amendment of the Bill. Various defects were noticed later and a Committee of Parliament was appointed in 1966, and the Members of Parliament and certain very leading lawyers made certain recommendations, and in the light of those recommendations also, it became necessary to amend the Advocates Act. Madam, the Bar Council of India directed that the law degree courses hereafter should be for three years, and during these three years it would be necessary for the students to